



अंचल अधिकारी का कार्यालय , KARRA ,KHUNTI (झारखंड)

झारखंड सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति / शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन हेतु आवेदन करने के लिये पिछड़ा वर्ग के सदस्यों द्वारा प्रस्तुत किये जानेवाले क्रीमीलेयर रहित प्रमाणपत्र

सन्दर्भ संख्या : JHNBC/2024/27745

जारी करने की तिथि :21/02/2024

प्रमाणित किया जाता है कि ASHOK MAHTO पिता SHIV SHANKAR MAHTO , VILL-CHIDDI,PO-RAYSIMLA ,PS-JARIYAGARH , ग्राम/नगर : CHIDDI थाना :JARIYAGARH जिला/प्रमंडल : KHUNTI राज्य/संघशासित प्रदेश : JHARKHAND , YADAV-GWALA जाति के सदस्य हैं, जो झारखंड रिक्तियों और पदों के लिये आरक्षण (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिये) अधिनियम 2001 के अधीन पिछड़ा वर्ग (अनुसूची - II) के रूप में मान्यता प्राप्त है तथा ये Hinduism (धर्म) को माननेवाले हैं।

2. ASHOK MAHTO तथा/अथवा उनका परिवार साधारणतया झारखंड राज्य के VILL- CHIDDI , ग्राम/नगर : CHIDDI थाना : JARIYAGARH जिला/प्रमंडल : KHUNTI में निवास करते हैं।

3. यह भी प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय झापांक 36012/22/93-स्था. (एस.इ.टी.), दिनांक 08.09.1993 की अनुसूची के स्तंभ-3 में उल्लिखित तथा कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के संकल्प सं. 3482, दिनांक 10.06.2002 द्वारा यथाअंगीकृत के अधीन क्रीमीलेयर व्यक्ति/वर्ग के सदस्य नहीं हैं।

4. यह प्रमाणपत्र कार्यालय झापन सं. 36012/22/93-स्था. (एस.इ.टी.), दिनांक 08.09.1993 के अपवर्जनों के नियमानुसार प्रमाणित आवेदक तथा उसकी/उसके माता-पिता द्वारा किये गये घोषणा के आधार पर जारी किया जाता है तथा यह निर्गत होने की तिथि से एक वर्ष के लिये वैध होगा। किन्तु क्रीमीलेयर में नहीं होने सम्बन्धी अद्यतन स्वघोषणा पत्र (फार्म संख्या -15) सलग करने पर इस प्रमाण पत्र की वैधता स्वघोषणा पत्र समर्पित करने के वित्तीय वर्ष के लिए मान्य होगी।

Digitally signed by Bandana Bharti
अंचल अधिकारी, KARRA, KHUNTI, JHARKHAND

स्थान : KARRA

तिथि : 21/02/2024

नोट : क्रीमीलेयर रहित प्रमाणपत्र की वैधता अगले आवेदन तक के लिए होगी, किन्तु क्रीमीलेयर में नहीं होने सम्बन्धी अद्यतन स्व-घोषणा विहित प्रपत्र में सलग करने पर ही विगत वित्तीय वर्ष अथवा उसके पूर्व निर्गत क्रीमीलेयर रहित प्रमाणपत्र मान्य किये जायेंगे। (द्रष्टव्य: कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग का परिपत्रांक 1754 दिनांक 25.02.219 की कंठिका 8.2)